पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, श्री अतुल कुमार गुप्ता ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की

लखनऊः 16 दिसम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक को आज राजभवन में श्री अतुल कुमार गुप्ता, अवकाश प्राप्त आई0ए0एस0 तथा अध्यक्ष, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे पूर्व आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट अगस्त, 2012 में तथा द्वितीय रिपोर्ट दिसम्बर, 2013 में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की थी।

ज्ञातव्य है कि राज्य वित्त आयोग के गठन के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा-32 क की व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग की अधिसूचना द्वारा श्री अतुल कुमार गुप्ता पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। आयोग का मुख्य दायित्व राज्य और ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य राज्य सरकार द्वारा उदग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम में से उनमें से विभाजित किए जाने के संबंध में राज्यपाल को अपनी संस्तुतियां देनी थी।

राज्यपाल आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्य सरकार के विचार हेतु भेजेंगे और रिपोर्ट पर राज्य सरकार सम्यक विचारोपरान्त उसे लागू करने का निर्णय करेगी।